



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102021-230598
CG-DL-E-21102021-230598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]
No. 607]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2021/आश्विन 29, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2021/ASVINA 29, 1943

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि 750(अ).—सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 3 के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, नामतः

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ:

- इस स्कीम का नाम सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम, 2021-22 होगा।
- प्रत्येक ट्रांश के लिए भिन्न-भिन्न श्रृंखलाएं (श्रृंखला-VII से आरंभ) होंगी जिन्हें निवेशकों को जारी बांडों में दर्शाया जाएगा।
- यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:

इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, -

- "प्रपत्र" का अर्थ है, इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र;
- "प्राप्तकर्ता कार्यालय" का अर्थ है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के कार्यालय या शाखा (इस अधिसूचना के अनुबंध I में यथाविनिर्दिष्ट) निर्दिष्ट डाकघर (इस अधिसूचना के अनुबंध-II में यथा विनिर्दिष्ट), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) या आरबीआई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्था (इस अधिसूचना के अनुबंध-III में यथा विनिर्दिष्ट)।

(ग) "स्टॉक प्रमाणपत्र" का अर्थ है, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुसार भारत सरकार स्टॉक के रूप में निर्गमित स्वर्ण बांड।

3. निवेश हेतु पात्रता:

इस स्कीम के अंतर्गत, स्वर्ण बांडों को एक न्यास, एच.यू.एफ., धर्मार्थ संस्था, विश्वविद्यालय अथवा भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति की हैसियत से, ऐसे व्यक्ति के रूप में अथवा नाबालिग की ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ-

- (i) "व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (प) में यथा परिभाषित है;
- (ii) शब्द "भारत में निवासी व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (फ) में यथा परिभाषित है।
- (iii) "न्यास" का अर्थ होगा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अनुसार गठित/बनाया गया न्यास अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी केंद्रीय अथवा राज्य के विधान के उपबंधों के तहत गठित अथवा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी न्यास और लोक धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन या दोनों प्रयोजनों हेतु गठित अभिव्यक्त या रचनात्मक न्यास भी, जिसमें मंदिर, मठ, वक्फ, चर्च, साइनागांग, एनाजियरी अथवा सार्वजनिक धार्मिक पूजा की अन्य जगह अथवा धर्मादा अथवा धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन अथवा दोनों के लिए गठित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारत में उस समय लागू किसी विधान के तहत पंजीकृत कोई अन्य धार्मिक या धर्मार्थ वृत्तिदान और सोसायटी।
- (iv) "धर्मार्थ संस्था" का अर्थ है भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत अथवा लागू विधान के अनुसार धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त की हुई संस्था; या कोई भी संस्था जिसने आय कर अधिनियम की धारा 80छ के प्रयोजन से आयकर प्राधिकरण से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है।
- (v) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या सम्मिलित विश्वविद्यालय और इसमें उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1956 की 3) के तहत घोषित संस्था शामिल है।

4. मूल्यवर्ग, अभिदान सीमा और मूल्य निर्धारण:

- (i) बांड एक ग्राम स्वर्ण अथवा इसके गुणजों के मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा:

परंतु यह कि जारी बांड में अभिदान की न्यूनतम सीमा 1 ग्राम और अभिदान की अधिकतम सीमा प्रति वित्त वर्ष व्यष्टि के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इसी तरह की संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम होगी;

परंतु यह भी कि संयुक्त धारिता के मामले में, उपर्युक्त सीमाएं केवल प्रथम आवेदक पर ही लागू होंगी;

परंतु यह भी कि वार्षिक सीमा में सरकार द्वारा आरंभिक निर्गम के दौरान विभिन्न ट्रांश में अभिदत्त और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए बांड शामिल होंगे; और

परंतु यह भी कि निवेश पर सीमा, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक के रूप में धारिता में शामिल नहीं होगी।

(ii) स्वर्ण बांडों का अंकित मूल्य अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के अंतिम 3 कार्य दिवसों के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता के स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपए में होगा।

(iii) ऑनलाइन आवेदन करने वाले और उसका भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले निवेशकों के लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य, अंकित मूल्य से 50 रुपये प्रति ग्राम कम होगा।

5. स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया:

- (i) स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने के इच्छुक प्रत्येक अभिदाता को प्रपत्र 'क' अथवा उसी के समान किसी अन्य प्रपत्र में किसी भी प्राप्तकर्ता कार्यालय को आवेदन करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वर्ण के ग्राम में वजन और आवेदक का पूरा नाम और पता देना होगा।
- (ii) प्रत्येक आवेदन में ऐसे दस्तावेज और ब्यौरे होंगे जैसे कि आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
- (iii) प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशक(कों) को जारी पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) संलग्न किया जाना अत्यावश्यक है।
- (iv) उप-पैराग्राफ (i) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता कार्यालय, प्रपत्र 'ख' में पावती जारी करेगा, यदि आवेदन की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हों।
- (v) अपूर्ण आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

6. स्वर्ण बांडों के निर्गम की तिथि और स्वरूप:

- (i) स्वर्ण बांड प्रपत्र 'ग' में यथा विनिर्दिष्ट "स्टॉक प्रमाण पत्र" के रूप में निर्गमित किए जाएंगे।
- (ii) स्वर्ण बांड डी-मैट रूप में रूपांतरित किए जाने के लिए पात्र होंगे।

7. अभिदान की अवधि:

इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांड का अभिदान नीचे खंड 8 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार खुलेगा; परंतु केंद्रीय सरकार पूर्व नोटिस देकर, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पहले स्कीम को बंद कर सकती है।

8. निर्गमन का कैलेंडर-

क्र.सं.	द्रांश	अभिदान की अवधि	निर्गम की तारीख
1	2021-22 श्रृंखला VII	अक्तूबर 25 - 29, 2021	नवम्बर 02, 2021
2	2021-22 श्रृंखला VIII	नवम्बर 29- दिसम्बर 03, 2021	दिसम्बर 07, 2021
3	2021-22 श्रृंखला IX	जनवरी 10-14, 2022	जनवरी 18, 2022
4	2021-22 श्रृंखला X	फरवरी 28- मार्च 04, 2022	मार्च 08, 2022

9. ब्याज:

- (i) स्वर्ण बांडों पर ब्याज इसके निर्गम की तारीख से प्रभारित होगा और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की नियत ब्याज दर अंकित मूल्य पर लगायी जाएगी।
- (ii) यह ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप में देय होगा तथा अंतिम ब्याज परिपक्वता होने पर मूल के साथ देय होगा।

10. प्राप्तकर्ता कार्यालय- प्राप्तकर्ता कार्यालय, सीधे अथवा एजेंटों के जरिए बांडों के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होंगे।**11. भुगतान के विकल्प:**

- (i) स्वर्ण बांड के लिए सभी भुगतान नकद में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से भारतीय रुपए में स्वीकृत किए जाएंगे।
- (ii) जहां भुगतान चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाते हों, उन्हें प्राप्तकर्ता कार्यालय के पक्ष में आहरित किया जाएगा।

12. मोचन:

- (i) स्वर्ण बांड, इनके निर्गम की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर अदायगी योग्य होंगे: परंतु स्वर्ण बांड का परिपक्वता पूर्व मोचन, स्वर्ण बांड के निर्गम की तारीख से, पांचवें वर्ष की समाप्ति पर अनुमत किए जा सकते हैं और ऐसे भुगतान अगले ब्याज भुगतान की तारीख को देय होंगे।
- (ii) परिपक्वता पर, स्वर्ण बांडों का मोचन भारतीय रुपए में होगा और मोचन का मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्यूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पिछले 3 कार्य दिवसों की 999 शुद्धता के स्वर्ण के समापन मूल्य की साधारण औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक/निक्षेपागार निवेशक को, स्वर्ण बांड की परिपक्वता की तारीख के बारे में, परिपक्वता से एक माह पूर्व सूचित करेगा।

13. सांविधिक नकदी अनुपात हेतु पात्रता:

केवल ग्रहणाधिकार (लियन)/आडमान/गिरवी (हाइपोथिकेशन)/गिरवी रखने की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए बांड सांविधिक नकदी अनुपात हेतु पात्र होंगे।

14. बांडों के एवज में ऋण:

(i) इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांडों को किसी भी ऋण के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित किसी भी सामान्य स्वर्ण ऋण पर यथा प्रयोज्य ऋण – मूल्य अनुपात इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण बांड पर भी लागू होगा।

टिप्पणी: एसजीबी के प्रति ऋण उधार देने वाले बैंक/संस्था के निर्णय के अध्यक्षीन होंगे और एसजीबी धारक द्वारा अधिकार के रूप में अनुमित नहीं किए जा सकते हैं।

15. कर उपाय:

स्वर्ण बांड पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा। इन बांडों के मोचन पर पूंजी प्रतिलाभ कर में व्यष्टि के लिए छूट है। बांडों के हस्तांतरण पर किसी व्यक्ति को प्राप्त दीर्घावधिक पूंजी प्रतिलाभ को सूचीयन लाभ प्रदान किया जाएगा।

16. नामांकन:

(i) नामांकन और इसका निरसन क्रमशः प्रपत्र 'घ' और प्रपत्र 'ड' में किया जाएगा, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और तारीख 01 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4, में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ii) एक व्यष्टि अनिवासी भारतीय अपने नाम पर प्रतिभूति का अंतरण दिवंगत निवेशक के नामिती होने के नाते करवा सकता है;

परंतु यह कि उस अनिवासी भारतीय को समय-पूर्व मोचन अथवा परिपक्वता तक प्रतिभूति का धारक बने रहना आवश्यक है;

परंतु यह भी कि निवेश पर ब्याज और परिपक्वता राशि आय स्वदेश भेजने योग्य नहीं होगी।

17. स्वर्ण बांडों का अंतरण:

स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में स्वर्ण बांडों को प्रपत्र 'च' में निहित अंतरण लिखत के निष्पादन से हस्तांतरित किया जा सकेगा, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और तारीख 01 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

18. स्वर्ण बांडों में कारोबार:

गोल्ड बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

19. अभिदान जुटाने के लिए कमीशन:

इन बांडों के लिए अभिदान जुटाने के कमीशन का भुगतान, प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों पर, प्राप्त कुल अभिदान के प्रति सौ पर एक रुपए की दर से की जाएगी और प्राप्तकर्ता कार्यालय इस प्रकार प्राप्त कमीशन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा एजेंटों या उप-एजेंटों के साथ, उनके जरिए प्राप्त कारोबार के लिए हिस्सेदारी करेंगे।

20. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना एफ संख्या 4(2)-डब्ल्यू एण्ड एम/2018, तारीख 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट अन्य सभी निबंधन और शर्तें इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण बांड पर लागू होगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

[फा. सं. 4(5)-बी(डब्ल्यू एण्ड एम)/2021]

आशीष वच्छानी, संयुक्त सचिव



अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो



गवाह प्रथम गवाह का नाम _____ द्वितीय गवाह का नाम _____

पता _____ पता _____

हस्ताक्षर _____ हस्ताक्षर _____

हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) घोषणा (अनिवार्य, अगर आवेदक एच.यू.एफ. का कर्ता है)

मैं, _____, प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते का निवासी, सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मैं अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता हूँ और इस कारण मुझे एच.यू.एफ. के नाम के चलते साँवरन स्वर्ण बाण्ड, 2021-22-में बेचने, पुष्टि करने, हस्तांतरित करने और किसी अन्य तरह से लेनदेन करने की पूरी शक्तियाँ हैं।

एच.यू.एफ. के लिए और उसकी ओर से नमूना हस्ताक्षर (एच.यू.एफ. का नाम)

स्थान _____

दिनांक _____

(एच.यू.एफ. की मोहर सहित कर्ता के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन प्राप्ति की तारीख	बीएएल सं.	सीआईएफ सं.	सरकारी खाते में जमा करने की तारीख	नामांकन पंजीकरण की तारीख	एच.यू.एफ. घोषणा मिली (हां/नहीं)	प्राप्त घोषणा की कुल सीमा	नेफ्ट/ईसीएस मैनडेट मिला (हां/नहीं)	कोई अन्य सूचना

प्रपत्र का भाग क

साँवरन स्वर्ण बांड, 2021-22 में निवेशों हेतु निवेशकों के लिए सूचना

मद	साँवरन स्वर्ण बांड, 2021-22
1. निवेशक की श्रेणी	ये बांड व्यष्टियों, अविभाजित हिंदू कुटुम्ब, न्यासों, धर्मार्थ संस्थाओं और विश्वविद्यालयों सहित निवासी भारतीय कंपनियों को विक्री के लिए सीमित होंगे।
2. निवेश की सीमा	प्रति निवेशक, प्रति वर्ष, न्यूनतम अभिदान 1 ग्राम और अधिकतम निवेश व्यष्टि के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इसी तरह की संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम होगा।
3. बांडों के निर्गम की तारीख	बांड प्राप्ति की तारीख वही होगी जो धारिता प्रमाणपत्र पर अंकित है।
4. बांडों के प्रकार	डिमेट और वास्तविक (धारिता प्रमाणपत्र)
5. ब्याज का विकल्प	अर्धवार्षिक अंतराल ब्याज, आवेदन फॉर्म में उल्लिखित खाते अथवा डिमेट खाते से जुड़े खाते में सीधे जमा कराया जाएगा।
6. पश्च - परिपक्वता ब्याज	पश्च- परिपक्वता ब्याज देय नहीं है।
7. बैंक खाता	निवेशकों के लिए यह अनिवार्य है कि ब्याज/परिपक्वता मूल्य का भुगतान सुसाध्य बनाने के लिए बैंक खाते का ब्यौरा दें।
8. नामांकन सुविधा	एकल धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, नामांकित के रूप में अधिकतम दो व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
9. परिपक्वता अवधि	निर्गम की तारीख से 8 वर्ष ।
10. पूर्व- परिपक्वता उन्मोचन	निर्गमन के 5वें वर्ष से कूपन तारीखों पर।
11. विक्रेयता	साँवरन स्वर्ण बांड ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे ।
12. इन बचत बांडों की जमानत पर बैंकों से ऋण	उक्त प्रतिभूतियों के धारक अनुसूचित बैंकों में गिरवी रखने, रेहन अथवा ग्रहणाधिकार करने के हकदार होंगे।
13. आवेदन प्रपत्र	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और नामोद्दिष्ट डाक घर, एसएचसीआईएल, सीसीआईएल, और प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज।

निवेशक/आवेदकों के लिए अनुदेश

- (क) आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण होना चाहिए।
- (ख) अधूरे आवेदनों को पूरे विवरण उपलब्ध होने तक नामंजूर किया जा सकता है या उनकी तिथि बढ़ायी जा सकती है।
- (ग) यदि मुख्तारनामा धारक आवेदन पत्र जमा करता है तो मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित प्रति के साथ उसकी मूल प्रति प्रस्तुत करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।
- (घ) यदि आवेदन नाबालिक की ओर से किया जाता है तो कृपया विद्यालय या नगर निगम प्राधिकरणों द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र और उसकी अनुप्रमाणित प्रति जमा करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।
- (ङ) कृपया ध्यान दें कि नामांकन सुविधा सावरेन स्वर्ण योजना (एसजीबी) के एक मात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों (निवेशकों) के लिए उपलब्ध है।
- (च) यदि नामिती नाबालिग है तो उसकी जन्मतिथि का उल्लेख करें और उसका अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है।
- (छ) यदि निवेश नाबालिक की ओर से किया जाए तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- (ज) इलेक्ट्रॉनिक रीति से भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता का विवरण दें।
- (झ) कृपया बैंक खाते का बदलाव करने पर, यदि ऐसा है, उसे अविलंब अधिसूचित करें।
- (ञ) परिपक्वता पश्च ब्याज देय नहीं है।
- (ट) अपनी जन्मतिथि का उल्लेख करें।

निवेशक के अधिकार

- (क) बांड (धारक प्रमाणपत्र) निवेशक को जारी किया जाएगा।
- (ख) बांड पर ब्याज की अदायगी अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाती है। ब्याज का शोधन आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खाते या डीमेट से जुड़े खाते, जैसा भी मामला हो, के जरिए किया जाएगा।
- (ग) निवेशों, सावरेन स्वर्ण बांड 2021-22 हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।
- (घ) एकल धारक या सभी संयुक्त धारक, बांडों के अधिकारों के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
- (ङ) नामांकन को निर्गम कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा तथा धारक को पंजीकृत प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- (च) नए सिरे से नामांकन को पंजीकृत कराकर इसे बदला जा सकता है।
- (छ) मौजूदा नामांकन को निवेश कार्यालय को अनुरोध करके निरस्त कराया जा सकता है।
- (ज) निवेशक प्रत्येक निर्मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पांच स्पष्ट कार्य दिवसों के भीतर धनराशि की अदायगी प्राप्त करने के लिए पात्र है।

यदि बैंक उपर्युक्त का अनुपालन नहीं करता है तो आप भारतीय रिजर्व बैंक के निकटतम कार्यालय में निम्नलिखित को शिकायत कर सकते हैं:

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
ग्राहक सेवा विभाग/
बैंकिंग लोकपाल
(पता)

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को भी भेज सकते हैं:

मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी
आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग
केंद्रीय कार्यालय
फोर्ट, मुम्बई - 400 008, महाराष्ट्र

घोषणा: मैंने निवेशकों के लिए सूचना के ब्यौरे और निवेशकों के अधिकार और कर्तव्य पढ़ और समझ लिए हैं। एजेंट/बैंक ने स्कीम की विशेषताओं की जानकारी दे दी है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'ख'

[पैराग्राफ 5 (IV) देखें]

प्राप्ति की रसीद

आवेदन सं.....

दिनांक...../...../.....

श्री/श्रीमती/सुश्री.....सेरुपये
(मात्र.....रुपये) के अंकित मूल्य के आधार पर देय ब्याज
पर, 8 वर्ष की अवधि हेतु सॉवरेन स्वर्ण बाण्ड 2021-22, श्रृंखला VII/VIII/IX/X के क्रय के लिए रु.
(मात्र.....रुपये) की कुल राशि के ग्राम हेतु
(बैंक और शाखा) के नाम आहरित नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चेक संख्या/ इलेक्ट्रानिक अंतरण दिनांक
.....प्राप्त हुए।

(प्राप्तकर्ता कार्यालय की मुहर/सील)

Form 'C'

[See paragraph 6 (1)]



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड) 2021-22

SOVEREIGN GOLD BOND 2021-22

Certificate Number-

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/ श्रीमती _____ यूनिट राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड) 2021-22 के कुल प्रारंभिक निवेश ' _____ के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हूँ। राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड), 2021-22, श्रृंखला VII/VIII/IX/X के प्रारंभिक निवेश पर प्रति वर्ष _____ प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जिसका संदाय प्रति छह माह पर _____ तारीख और _____ तारीख को प्रतिवर्ष किया जाएगा। बंधपत्र _____ को उन्मोचनीय होगा और बंधपत्र के समय पूर्व उन्मोचन का विकल्प पांच वर्ष बाद अगले ब्याज भुगतान की तारीखों को उपलब्ध होगा।

I hereby certify that, Smt. /Shri _____

is the registered holder of _____ units of Sovereign Gold Bond 2020-21. The Sovereign Gold Bond 2021-22, Series VII/VIII/IX/X, will bear interest at _____percent per annum on initial investment of ₹_____, payable at half yearly intervals on _____and _____ every year. The Bonds are redeemable on _____ with the option for early redemption after fifth year on next interest payment dates.

आवेदन प्राप्तकर्ता कार्यालय
Application Receiving Office

यह प्रमाणपत्र प्रणाली आधारित है अतः हस्ताक्षर आवश्यक नहीं।

This is a system generated certificate and does not require any signature.

प्रपत्र 'घ'

[पैरा 16 देखें]

नामांकन

मैं/हम -----(नाम और पता), ऋण ----- के लिए स्टॉक प्रमाणपत्र/बीएलए संख्या ----- के धारक एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करते हैं जिनके पास मेरी/हमारी मृत्यु होने पर सरकारी प्रतिभूति/बांड का अधिकार होगा और जो सरकारी प्रतिभूतियों/ बांडों पर देय राशि का तत्समय भुगतान प्राप्त करेंगे:

नामिती का विवरण:

जारी करने के तारीख	राशि रूप में	भुगतान की तारीख	नामिती का पूरा और पता	यदि अवयस्क है तो जन्म तिथि	धारक/कों के साथ रिश्ता	बैंक खाते का विवरण

नामिती अवयस्क होने पर भरा जाएगा: जैसा कि -----उपर्युक्त मुख्य नामिती इस तारीख को अवयस्क है, मैं/हम ----- उपर्युक्त नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु होने की स्थिति में श्री/श्रीमती/कुमारी-----को सरकारी प्रतिभूति/बांडों पर देय राशि तत्समय प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

यदि नामांकन पहले किए हुए नामांकन का प्रतिस्थापन है तो: यह नामांकन मेरे/हमारे द्वारा किए गए नामांकन तारीख ----- का प्रतिस्थापन है और आपकी पुस्तक ----- में पंजीकृत है, जो इस नामांकन के पंजीकरण पर रद्द माना जाएगा।

स्थान:-----

(स्टॉक प्रमाणपत्र/ बीएलए धारक के हस्ताक्षर)

तारीख -----

गवाहों के नाम, पता और हस्ताक्षर

1-----

2-----

पावती

हम ----- (नामिती का नाम) के पक्ष में स्टॉक प्रमाणपत्र/बीएलए संख्या -----, ऋण -----हेतु और ----- पंजीकृत नामांकन करने की अभिस्वीकृति देता हूँ और नामांकन पंजीकरण -----है।

कृपया नामांकन में बदलाव या निरसन के संप्रेषण में उपर्युक्त नामांकन का उल्लेख करें।

दिनांक -----

प्राधिकृत अधिकारी -----

प्रपत्र 'ड'

(पैराग्राफ 16 देखें)

नामांकन का निरसन

मैं/हम (नाम और पता) एतद्वारा तारीख का मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित स्टॉक प्रमाणपत्र/बांड लेजर खाता संख्या और अभिकरण बैंक के लोक ऋण कार्यालय/शाखा द्वारा (तारीख) की पंजीकरण संख्या द्वारा पंजीकृत किए गए नामांकन को रद्द करता हूँ/करते हैं।

स्टॉक प्रमाणपत्र/बांडों के विवरण

निर्गम की तारीख	उधार का शीर्षक	स्टॉक प्रमाणपत्र/ बीएलए संख्या	धनराशि (रुपए)

स्थान:

(स्टॉक प्रमाणपत्र धारक(कों)/

तारीख:

बीएलए धारक (कों) के हस्ताक्षर)

गवाहों के नाम सहित हस्ताक्षर और उनका पता:

1.

2.

अभिस्वीकृति

हम, उधार के लिए स्टॉक प्रमाणपत्र/बीएलए संख्या के लिए हमारी नामांकन पंजीकरण संख्या तारीख द्वारा दर्ज किए गए ----- (नामितियों के नाम) के पक्ष में नामांकन को रद्द करने की अभिस्वीकृति करते हैं।

तारीख:

अधिकृत अधिकारी

प्रपत्र 'च'

(पैराग्राफ 17 देखें)

स्टॉक प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण

मैं/हम* (अंतरक) एतद्वारा अंतर्लिखित स्टॉक प्रमाणपत्र संख्या की में, के सरकारी ऋण में प्रतिशत, जो रुपए बैठता है, रुपए की धनराशि होने पर/..... रुपए के लिए शेयर का भाग इस लिखत के मुख पृष्ठ पर यथा विनिर्दिष्ट उस पर अर्जित ब्याज के साथ अपना/हमारा* हिस्सा या शेयर (अंतरिती/यों), उसके/उनके* निष्पादनकर्ताओं, प्रशासकों या समनुदेशकों को सुपुर्द और अंतरित करता हूँ/करते हैं, और मैं/हम* स्टॉक प्रमाणपत्र संख्या ----- को मुझे/हमें* हस्तांतरित किए गए आशय तक मुक्त रूप से स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम* अंतरिती एतद्वारा यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें हस्तांतरित किए स्टॉक के मेरे/हमारे पंजीकृत शेयर धारक होने के कारण*, मुझे/हमें हस्तांतरित किए गए आशय तक उपर्युक्त स्टॉक प्रमाणपत्र मेरे/हमारे* नाम(मों) पर नवीकरण कर दिया जाए/ मेरे/हमारे* नाम(मों) पर परिवर्तित कर दिया जाए।

@ मैं/हम* (अंतरक) एतद्वारा यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त अंतरिती(यों) के संबंध में उसे/उन्हें* एतद्वारा हस्तांतरित किए गए स्टॉक के पंजीकृत शेयर धारक होने के कारण, उसे/उन्हें* हस्तांतरित नहीं किए गए आशय तक उपर्युक्त स्टॉक प्रमाणपत्र मेरे/हमारे* नाम(मों) पर नवीकृत कर दिया जाए।

गवाह के रूप में, आज (दिन) (माह) दो हजार को हस्ताक्षर किए/अंगूठा लगाया।

..... ** की उपस्थिति में उपर्युक्त नामतः अंतरक द्वारा हस्ताक्षर किए गए।	अंतरक के हस्ताक्षर पता.....
..... ** की उपस्थिति में उपर्युक्त नामतः अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किए गए।	अंतरिती के हस्ताक्षर

*: जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

@: इस पैराग्राफ का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब इस प्रमाणपत्र का आंशिक रूप से हस्तांतरण हो।

** : गवाह के हस्ताक्षर, व्यवसाय और पता। गवाह अंतरक और अंतरिती से अलग होना चाहिए।

अंतरित:

स्टॉक प्रमाणपत्र जारी किया गया संख्या तारीख

प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक

अनुबंध I

(अक्टूबर 21, 2021 की अधिसूचना के पैरा 2(बी) का संदर्भ)

राष्ट्रीयकृत बैंक		अनुसूचित निजी बैंक	
1	भारतीय स्टेट बैंक	1	एक्सिस बैंक लिमिटेड
2	बैंक ऑफ़ बडौदा (देना बैंक और विजया बैंक समेत)	2	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
3	बैंक ऑफ़ इंडिया	3	सिटी यूनिन बैंक लिमिटेड
3	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र	4	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड
5	केनरा बैंकसिंडिकेट बैंक समेत)	5	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
6	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	6	फेडरल बैंक लिमिटेड
7	इंडियन बैंक (इलाहाबाद बैंकसमेत)	7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
8	इंडियन ओवरसीज बैंक	8	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
9	पंजाब नेशनल बैंक (ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्सऔर यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया समेत)	9	इंडसइंड बैंक लिमिटेड
10	पंजाब एंड सिंध बैंक	10	जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड
11	यूनिन बैंक ऑफ़ इंडिया (आंध्रा बैंकऔर कॉर्पोरेशन बैंकसमेत)	11	कर्नाटक बैंक लिमिटेड
12	यूको बैंक	12	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
		13	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
		14	नैनीताल बैंक लिमिटेड
		15	रत्नाकर बैंक लिमिटेड
		16	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
		17	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड
		18	यस बैंक लिमिटेड
		19	बंधन बैंक
		20	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड
		21	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

अनुसूचित विदेशी बैंक			
1	दाराँयल बैंक स्कॉटलैंड एनवी	23	मिजुहो कारपोरेट बैंक लिमिटेड
2	अबू धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड	24	ओमान इंटरनेशनल बैंक
3	एंटरवर्प डायमंड बैंक एनवी	25	सोसाइटी जेनरल
4	अरब बांग्लादेश बैंक लिमिटेड (एबी बैंक)	26	सोनाली बैंक
5	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	27	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
6	बैंक ऑफ अमेरिका	28	स्टेट बैंक आफ मॉरीशस
7	बैंक आफवहरीन और कुवैत बीएससी	29	जेएससी - वीटीबी बैंक
8	बैंक आफसीलोन	30	यूबीएस एजी
9	बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया	31	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन
10	बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी लिमिटेड	32	फस्टरैंड बैंक लिमिटेड
11	बार्कलेस बैंक	33	कॉमनवेल्थ बैंक आफ ऑस्ट्रेलिया
12	बीएनपी पारिबास	34	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड
13	चीन ट्रस्ट बैंक	35	क्रेडिट सुइस एजी
14	शिनहन बैंक	36	सबेर बैंक
15	सिटी बैंक एनए	37	ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड
16	क्रेडिट एग्रीकोल कॉरपोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक	38	राबोबैंक इंटरनेशनल
17	ज्यूश बैंक	39	नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक
18	डीबीएस बैंक लिमिटेड	40	वूरी बैंक
19	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	41	इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक आफ चाइना
20	जेपी मॉर्गन चैस बैंक एनए	42	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन
21	क्रुंग थाई बैंक	43	वेस्टपैक बैंकिंग कॉरपोरेशन
22	मशरेक बैंक	44	दोहा बैंक

अनुबंध II

(अधिसूचना दिनांक अक्टूबर 21, 2021 के पैरा 2 (बी) का संदर्भ)

भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 में www.rbi.org.in (वेबसाइट) पर डाकघरों की सूची प्रदान की गई है

अनुबंध III

(अधिसूचना दिनांक अक्टूबर 21, 2021 के पैरा 2 (बी) का संदर्भ)

साँवरेन स्वर्ण बांड 2021-22 के लिए प्राप्तकर्ता कार्यालयों के रूप में प्राधिकृत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य संस्थानों की सूची

1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
2. बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)
3. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल)
4. स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस एच सी आई एल)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2021

G.S.R. 750(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of section 3 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:

1. Short title and commencement.-

- (i) This scheme may be called the Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22.
- (ii) There will be a distinct Series (starting from Series VII) for every tranche which will be indicated on the Bond issued to the investor.
- (ii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition.-

In this Scheme, unless the context otherwise requires:

- a) "Form" means a form appended to this Scheme;
- b) "Receiving office" means the offices or branches of Nationalised Banks, Scheduled Private Banks, Scheduled Foreign Banks (as specified in **Annexure I** to this Notification), designated Post Offices (as specified in **Annexure II** to this Notification), Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL), the authorised stock exchanges, and Clearing Corporation of India Limited (CCIL) or any other entity as may be approved by RBI as specified in **Annexure III** to this Notification.
- c) "Stock Certificate" means the Gold Bond issued in the form of Government of India Stock in accordance with section 3 of the Government Securities Act, 2006.

3. Eligibility for Investment.-

The Gold Bonds under this Scheme may be held by a Trust, HUFs, Charitable Institution, University or by a person resident in India, being an individual, in his capacity as such individual, or on behalf of minor child, or jointly with any other individual.

Explanation— For the purposes of this paragraph:

(i) "person" shall have the same meaning as defined in clause (u) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).

(ii) the expression "person resident in India" shall have the same meaning as defined in clause (v) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).

(iii) "Trusts" to mean a trust constituted/formed as per the Indian Trusts Act, 1882, or a public or private trust constituted or recognized under the provisions of any Central or State law for the time being in force and also an express or constructive trust constituted for either a public religious or charitable purpose or both which includes a temple, a math, a wakf, a church, a synagogue, anagary or any other place of public religious worship, or a dharmada or any other religious or charitable endowment and also a society, formed either for a religious or charitable purpose or for both, registered under the Societies Registration Act, 1860 or under any other law for the time being in force in India.

(iv) "Charitable Institution" to mean a Company registered under Section 25 of the Indian Companies Act, 1956 or under Section 8 of the Companies Act, 2013; or an institution, which has obtained a Certificate of Registration as a charitable institution in accordance with a law in force; or Any institution which has obtained a certificate from an Income Tax Authority for the purposes of Section 80G of the Income Tax Act, 1961.

(v) "University" means a university established or incorporated by a Central, State or Provincial Act, and includes an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), to be a university for the purposes of the Act.

4. Denomination, Subscription limit and Pricing.—

- (i) The bonds will be issued in denominations of one gram of gold or multiples thereof;

Provided that the minimum limit of subscription for the Bonds issued shall be of one gram and maximum limit of subscription per fiscal year shall be of 4 kg for individuals, 4 kg for Hindu Undivided Family (HUF) and 20 kg for trusts and similar entities notified by the Government from time to time;

Provided that in case of joint holding, the above limits shall be applicable to the first applicant only;

Provided that the annual ceiling will include bonds subscribed under different tranches during initial issuance by Government and those purchased from the secondary market; and

Provided further that the ceiling on investment will not include the holdings as collateral by banks and other Financial Institutions.

- (ii) The nominal value of Gold Bonds shall be in Indian Rupees fixed on the basis of simple average of closing price of gold of 999 purity, published by the India Bullion and Jewelers Association Limited, for the last 3 working days of the week-preceding the subscription period.

- (iii) The issue price of the Gold Bonds will be ₹50 per gram less than the nominal value to those investors applying online and the payment against the application is made through digital mode.

5. Procedure for making application for subscription to Gold Bonds—

- (i) Any person who is desirous of subscribing to the Gold Bonds shall apply to any Receiving office in **Form 'A'** or in any other form as near as thereto, stating clearly the grams of gold, full name and address of the applicant/s.
- (ii) Every application shall contain such documents and particulars as specified in the instructions contained in the Application Form.
- (iii) Every application must be accompanied by the 'PAN Number' issued by the Income Tax Department to Individuals and other entities.
- (iv) On receipt of an application under sub paragraph (i), the Receiving office shall issue an acknowledgment receipt in **Form 'B'**, if all requirements of the application are fulfilled.
- (v) An incomplete application is liable to be rejected.

6. Date and form of issue of Gold Bonds.—

- (i) The Gold Bonds shall be issued on the in the form of a Stock Certificate, as specified in Form 'C'.
- (ii) The Gold Bonds shall be eligible to be converted into Demat form.

7. Period of subscription.-

The Subscription of the Gold Bonds under this Scheme shall be open as specified in Section 8 below.

Provided that the Central Government may, with prior notice, close the Scheme at any time before the period specified above.

8. Calendar of Issuance.-

S.No.	Tranche	Date of Subscription	Date of Issuance
1	2021-22 Series VII	October 25 - 29, 2021	November 02, 2021
2	2021-22 Series VIII	November 29- December 03, 2021	December 07, 2021
3	2021-22 Series IX	January 10-14, 2022	January 18, 2022
4	2021-22 Series X	February 28- March 04, 2022	March 08, 2022

9. Interest.-

(i) The interest on the Gold Bonds shall commence from the date of issue and shall be paid at a fixed rate of 2.50 percent per annum on the nominal value of the bond.

(ii) The interest shall be payable in half-yearly rests and the last interest shall be payable along with the principal on maturity.

10. Receiving Offices.-

The Receiving offices shall be authorised to receive applications for the bonds either directly or through agents.

11. Payment Options.-

(i) All payments for Gold Bonds shall be accepted in Indian Rupees through cash (up to a maximum of ₹ 20,000/-) or demand draft, or cheque, or electronic banking.

(ii) Where payment is made through cheque or demand draft, the same shall be drawn in favour of the Receiving office.

12. Redemption.-

(i) The Gold Bonds shall be repayable on the expiration of eight years from the date of the issue of the Bonds:

Provided that premature redemption of Gold Bonds may be permitted after fifth year from the date of issue of Bonds and such repayments will be made on next interest payment date.

(ii) On maturity, the Gold Bonds shall be redeemed in Indian Rupees and the redemption price shall be based on simple average of closing price of gold of 999 purity of previous 3 working days, published by the India Bullion and Jewelers Association Limited.

(iii) The RBI / depository shall inform the investor one month in advance, about the date of maturity of the Bond.

13. Eligibility for Statutory Liquidity Ratio.-

Bonds acquired by the banks through the process of invoking lien/hypothecation/pledge alone, shall be counted towards Statutory Liquidity Ratio.

14. Loan against Bonds.-

(i) The Gold Bonds issued under this Scheme may be used as collateral security for availing any loan. Such loans could be granted by marking lien on SGB appropriately.

(ii) The Loan to Value ratio as applicable to any ordinary gold loan mandated by the Reserve Bank of India shall also apply to the Bonds issued under this Scheme.

Note: The loan against SGBs would be subject to decision of the bank/financing agency, and cannot be inferred as a matter of right.

15. Tax Treatment.

The interest on the Gold Bond shall be taxable as per the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). The capital gains tax arising on redemption of these bonds to an individual is exempted. The indexation benefits will be provided to long-term capital gains arising to any person on transfer of bond.

16. Nomination.-

(i) Nomination of and its cancellation shall be made in **Form 'D'** and **Form 'E'**, respectively, in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) and the Government Securities Regulations, 2007, published in part III, Section 4 of the Gazette of India dated the 1st December 2007.

(ii) An individual Non-Resident Indian may get the security transferred in his name on account of his being a nominee of a deceased investor;

Provided that the Non-Resident investor shall need to hold the security till early redemption or till maturity;

Provided further that the interest and maturity proceeds of the investment shall not be repatriable.

17. Transfer of Gold Bonds.-

The Gold Bonds issued in the form of Stock Certificate are transferable by execution of an Instrument of transfer as in **Form 'F'**, in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) and the Government Securities Regulations, 2007, published in part III, Section 4 of the Gazette of India dated the 1st December 2007.

18. Trading of Gold Bonds.-

The Gold Bonds shall be eligible for trading.

19. Commission for mobilizing subscription.-

The commission for mobilising subscription towards these bonds shall be paid at the rate of Rupee one per hundred Rupees of the total subscription received by the Receiving offices and Receiving offices shall share at least 50% of the commission so received with the agents or sub agents for the business procured through them.

20. All other terms and conditions specified in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) vide number F. No.4 (2) W&M/2018, dated the 27th March, 2018 shall apply to the Gold Bond issued under this scheme.

By Order of the President of India

[F. No. 4(5)-B(W&M)/2021]

ASHISH VACHHANI, Jt. Secy.

Date, Bank Stamp & Signature of the authorized
official of the bank/Post Office

In case of thumb impression, attestation by two witnesses

Thumb Impression

Witnesses:

Name of 1st Witness Name of 2nd Witness _____

Address Address _____

Signature Signature _____

H.U.F. declaration (mandatory, if applicant is Karta of HUF)

I,.....,residing at the address given against First Applicant, do solemnly affirm that I am the Karta of the Hindu Undivided Family and as such have full powers to sell, endorse, transfer or otherwise deal in the Sovereign Gold bonds 2019-20, standing in the name of the HUF.

Specimen signature for and on behalf of the HUF (name of the HUF)

Place _____

Date _____

(Signature of the Karta with seal of HUF)

For Office use only

Date of receipt of Application (DD/MM/YYYY)	BLA No.	CIF No.	Date of Credit to Govt.A/C (DD/MM/YYYY)	Nomination registered on (DD/MM/YYYY)	HUF declaration obtained (Y/N)	Total limit declaration obtained (Y/N)	NEFT/ECS mandate obtained (Y/N)	Any other information

Part of Form A**Information for Investors of Sovereign Gold Bond 2021-22**

Item	Sovereign Gold Bond 2021-22
1) Category of Investor	The Bonds will be restricted for sale to resident Indian entities including individuals, HUFs, Trusts, charitable institutions and Universities.
2) Limit of investment	Minimum subscription of 1 Gram and Maximum investment of 4kg for individuals and HUF & 20kg for trust and similar entities per investor per annum.
3) Date of Issue of bonds	Date of receipt of bond will be the same which is inscribed on the holding certificate.
4) Forms of Bonds	Demat and Physical (Certificate of Holding).
5) Interest Option	Half yearly intervals. Interest will be credited directly in to the account mentioned in the application form or in the Account linked with the Demat a/c.
6) Post Maturity Interest	Post Maturity Interest is not payable .
7) Bank account	It is mandatory for the investors to provide bank account details to facilitate payment of interest /maturity value.
8) Nomination Facility	The sole Holder or all the joint holders may nominate a maximum of two persons as nominee.
9) Maturity period	8 years from the date of issue.
10) Premature redemption	On the coupon dates after the 5 th year of issuance.
11) Tradability	Bonds will be tradable on stock exchanges.
12) Loans from banks against the security of these bonds	The holders of the said securities shall be entitled to create pledge, hypothecation or lien in favour of scheduled banks.
13) Application forms	Branches of all the scheduled commercial banks, designated Post offices, Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHIL), the authorised stock exchanges, and Clearing Corporation of India Limited (CCIL) or any other entity as may be approved by RBI.

Instructions for Investors/ Applicants

- a) Application should be complete in all respects.
- b) Incomplete applications may be rejected or delayed till full particulars are available.
- c) In case the application is submitted by a Power of Attorney (POA) holder, please submit original POA for verification, along with an attested copy.
- d) In case the application is on behalf of a minor, please submit the original birth certificate from the School or Municipal Authorities for verification, together with an attested copy.
- e) Please note that nomination facility is available to a Sole Holder or all the joint holders (investors) of an SGB.
- f) In case nominee is a minor, please indicate the date of birth of the minor and a guardian can be appointed.
- g) Nomination facility **is not available** in case the investment is **on behalf of minor**.
- h) Please provide bank account details for receiving payment through Electronic mode.
- i) Please notify the change of bank account, if any, immediately.
- j) POST MATURITY INTEREST IS NOT PAYABLE.
- k) Indicate your date of birth.

Rights of the Investors

- a) Holding Certificate will be issued to the investor.
- b) The interest on the bond is paid half-yearly. The servicing of the Interest will be done through the bank account provided in the Application form or through the A/c linked to the demat, as the case may be.
- c) Application forms for investments under Sovereign Gold Bonds 2021-22 are available on the website at www.rbi.org.in.
- d) A sole holder or all the joint holders may nominate maximum of two nominees to the rights of the bonds.
- e) The nomination will be registered at the Office of Issue and a Certificate of Registration will be issued to the holder.
- f) The nomination can be altered by registering a fresh nomination.
- g) The existing nomination can be cancelled by a request to the Office of Issue.
- h) The investor is entitled to receive repayment amount within five clear working days from the date of tender of application for early redemption.

In case the bank does not comply with the above, you may lodge a complaint in writing in to the nearest office of Reserve Bank of India as under:

**THE REGIONAL DIRECTOR,
RESERVE BANK OF INDIA,
CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION DEPARTMENT/
BANKING OMBUDSMAN
(LOCATION)**

YOU MAY ALSO ADDRESS YOUR COMPLAINT TO:

**THE CHIEF GENERAL MANAGER
INTERNAL DEBT MANAGEMENT DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
FORT, MUMBAI-400 001, MAHARASHTRA**

Disclaimer: - I have read and understood the details of information for the investors as well as rights and duties of investors. The agent/bank has explained the features of the scheme to me.

Signature of the applicant

Form 'B'

[See Paragraph 5(4)]

Acknowledgement Receipt

Application No.....

Date/...../.....

Received from
Mr/Mrs/Ms.....Cash/ Demand
Draft/Cheque No./Electronic Transfer/..... dated/...../.....
drawn on (Bank and branch)
for ___ grams totaling an amount of `..... (Rupees..... only)
for the purchase of Sovereign Gold Bond 2021-22 – Series VII/VIII/IX/X for a period of 8 years, interest
payable on basis of the nominal value of `.....
(Rupees.....only).

(Stamp / Seal of the Receiving Office)

Form 'C'
[See paragraph 6 (1)]



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड) 2021-22

SOVEREIGN GOLD BOND 2021-22

Certificate Number-

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/ श्रीमती / _____ यूनिट राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड)2021-22 - सीरिज़ VII/VIII/IX/X के कुल प्रारंभिक निवेश _____ के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हूँ। राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड), 2021-22 - सीरिज़ VII/VIII/IX/Xके प्रारंभिक निवेश पर प्रति वर्ष _____ प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जिसका संदायप्रति छह माह पर _____ तारीख और _____ तारीख को प्रतिवर्ष किया जाएगा। बंधपत्र _____ को उन्मोचनीय होगा और बंधपत्र के समय पूर्व उन्मोचन का विकल्प पांच वर्ष बाद ब्याज भुगतान की तारीखों को उपलब्ध होगा।

I hereby certify that, Smt. /Shri _____

is the registered holder of _____ units of Sovereign Gold Bond 2021-22- Series VII/VIII/IX/X. The Sovereign Gold Bond 2021-22 – Series VII/VIII/IX/X will bear interest at _____ percent per annum on initial investment of ₹_____, payable at half yearly intervals on _____ and _____ every year. The Bonds are redeemable on _____ with the option for early redemption after fifth year on interest payment dates.

आवेदन प्राप्तकर्ता कार्यालय

Application Receiving Office

यह प्रमाणपत्र प्रणाली आधारित है अतः हस्ताक्षर आवश्यक नहीं।

This is a system generated certificate and does not require any signature.

Form 'D'

[See paragraph 16]

NOMINATION

I/We (Name and address), the holder/s of Stock certificate /BLA No.....for the loan..... here by nominate the following person/s who shall on my/our death have the right to the Government securities/Bonds and receive payment of the amount for the time being due on the Government securities/Bonds specified below:

PARTICULARS OF NOMINEE:

Date of issue	Amount ₹	Date of repayment	Full name with expanded initials and address of nominee	Date of birth in case of minor	Relation-Ship to holder/s	Particulars Of bank account

To be filled in case if nominee is minor: As..... the sole nominee above is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kumari to receive the amount for the time being.

Due to the above Government securities/Bond in the event of my/our death during the minority of the said nominee.....

If the nomination is in substitution of the one already made: This nomination is in substitution of the nomination dated.....made by me/us and registered on your books at.....which shall stand cancelled on registration of this nomination.

Place : _____

(Signature(s) of the Stock Certificate holder(s)

Date : _____

/BLA holders(s))

Signature with name and address of witnesses:

1.....

2.....

Acknowledgment

We acknowledge having registered the nomination in favour of..... (Name of nominees) for the Stock Certificate/BLA No.....for the loan..... and the nomination registration no. is..... Please quote the above nomination registration no. in all communication pertaining to change or cancellation of nomination.

Date:.....

Authorised Official.....

Form 'E'*[See paragraph 16]***CANCELLATION OF NOMINATION**

I/We.....(name and address) do here by cancel the nomination dated.....made by me/us in respect of the following Stock certificate/Bond Ledger Account No., and registered by the Public Debt Office/branch of the Agency bank on.....(date) vide Registration No.....

Particulars of the Stock Certificate/ Bonds

Date of Issue	Nomenclature of The loan	Stock Certificate/ BLA No.	Amount(₹)

Place:_____

(Signature(s) of the Stock Certificate holder(s))

Date:_____

/BLA holder(s))

Signature with name and address of witnesses:

1.....

2.....

Acknowledgment

We acknowledge having cancelled the nomination in favour of (Name of Nominees) for the Stock Certificate/BLA No.....for the loannoted vide our nomination registration no..... Dated.....

Date:.....

Authorised Official.....

Form 'F'*[See paragraph 17]***TRANSFER OF STOCK CERTIFICATES**

I/We* (transferor/s) do hereby assign and transfer my/our* interest or share in the inscribed stock certificate number.....of percent Government Loan of amounting to `..... being the amount /a portion of the stock for `..... as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon to.....(transferee/s), his/her/their* executors, administrators or assigns, and I/We* do freely accept the stock certificate number.....to the extent it has been transferred to me/us*.

I/We*.....(transferee/s)hereby request that on my/our*being registered as the holder/s of the stock transferred to me/us*, the above stock certificate to the extent it has been transferred to me/us*may be renewed in my/our*name (s)/converted in my/our*name(s).

@I/We*.....(transferor/s)hereby request that on the above transferee(s) being registered as the holder/s of the stock hereby transferred to him/them*,the aforesaid stock certificate to the extent it has not been transferred to him/them*may be renewed in my/our*name(s).

As witness, our hand the day of two thousand and.....

Signed by the above-named transferor In the presence of **	Signature of transferor..... Address:.....
Signed by the above-named transferee In the presence**	Signature of transferee.....

*:Delete whichever is not applicable.

@:This paragraph is to be used only when a portion of the Certificate is transferred.

** :Signature, occupation and address of witness.Witness should be different for
Transfer or and transferee.

Transferred:

Stock Certificate issued. No/s.....dated..... Manager, Reserve
Bank of India,.....

Annexure I

(Refer to para 2(b) of notification dated October 21, 2021)

List of Scheduled Commercial Banks

	PUBLIC SECTOR BANKS	PRIVATE BANKS	
1	State Bank of India	1	Axis Bank Ltd.
2	Bank of Baroda (Including Vijaya Bank and Dena Bank)	2	Catholic Syrian Bank Ltd.
3	Bank of India	3	City Union Bank Ltd.
4	Bank of Maharashtra	4	Development Credit Bank Ltd.
5	Canara Bank (Including Syndicate Bank)	5	Dhanlaxmi Bank Ltd.
6	Central Bank of India	6	Federal Bank Ltd.
7	Indian Bank (Including Allahabad Bank)	7	HDFC Bank Ltd.
8	Indian Overseas Bank	8	ICICI Bank Ltd.
9	Punjab National Bank (including Oriental Bank of Commerce and United Bank of India)	9	IndusInd Bank Ltd.
10	Punjab & Sind Bank	10	Jammu & Kashmir Bank Ltd.
11	Union Bank of India (including Andhra Bank and Corporation Bank)	11	Karnataka Bank Ltd.
12	UCO Bank	12	Karur Vysya Bank Ltd.
		13	Kotak Mahindra Bank Ltd.
		14	Nainital Bank Ltd.
		15	Ratnakar Bank Ltd.
		16	South Indian Bank Ltd.
		17	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
		18	Yes Bank Ltd.
		19	Bandhan Bank
		20	IDFC Bank Ltd
		21	IDBI Bank Ltd.

<u>FOREIGN BANKS</u>			
1	The Royal Bank of Scotland N.V	23	Mizuho Corporate Bank Ltd.
2	Abu Dhabi Commercial Bank Ltd.	24	Oman International Bank
3	Antwerp Diamond Bank N.V	25	Societe Generale
4	Arab Bangladesh Bank Ltd.(AB Bank)	26	Sonali Bank
5	Bank International Indonesia	27	Standard Chartered Bank
6	Bank of America	28	State Bank of Mauritius
7	Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C	29	JSC - VTB Bank
8	Bank of Ceylon	30	UBS AG
9	Bank of Nova Scotia	31	American Express Banking Corporation
10	Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd.	32	First Rand Bank Ltd.
11	Barclays sBank	33	Commonwealth Bank of Australia
12	BNP Paribas	34	United Overseas Bank Ltd.
13	China Trust Bank	35	Credit Suisse A.G
14	Shinhan Bank	36	Sberbank
15	Citibank N.A	37	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
16	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	38	Rabobank International
17	Deutsche Bank	39	National Australia Bank
18	DBS Bank Ltd.	40	Woori Bank
19	Hongkong and Shanghai Banking Corpn. Ltd.	41	Industrial & Commercial Bank of China
20	J.P.Morgan Chase Bank N.A	42	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
21	Krung Thai Bank	43	Westpac Banking Corporation
22	Mashreq Bank	44	Doha Bank

Annexure-II

(Refer to para 2(b) of Notification dated October 21, 2021)

List of Post Offices is provided in the Press Release of Reserve Bank of India dated October 21, 2021 at www.rbi.org.in

Annexure III

(Refer to para 2(b) of Notification dated October 21, 2021)

List of recognised stock exchanges and other entity authorised as Receiving offices for the Sovereign Gold Bonds

1. National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
2. Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)
3. Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL)
4. Clearing Corporation of India Limited (CCIL)